

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित मुख्य वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, कार्यपालन यंत्री महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, गारे पेलमा कोल माईस सेक्टर 2, विद्युत भवन, कटोल रोड, नागपुर द्वारा 214.869 हे. वनभूमि के कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित संरक्षित, राजस्व वनभूमि का निरीक्षण दिनांक 09.10.2021 को किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।
हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्तावित व्यपवर्तन क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि अंतर्गत तेंदुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है। अतः उक्त क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्य प्राणी योजना के क्रियान्वयन एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य के क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुशंसित

दिनांक 11.10.2021

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर